न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– प्रार्थना पत्र संख्या 308/2015

निर्णय दिनांक :– 20-9-2019

पूर्णाराम पुत्र स्व. पेमाराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ चुरू

... प्रार्थी

बनाम

1. धन्नेसिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपूत निवासी बीनादेसर तहसील रतनगढ़, चूरू
2. बाबूलाल पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी वार्ड नं 16 राजलदेसर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:–

1. श्री परमानंद भामूं, अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 15.12.2015 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीनी/वादी की ओर से अनुवानी प्रकरण का दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अप्रार्थी सं. 1 धन्नेसिह की खातेदारी का खेत खसरा नं. 1583 तादादी 5 बीघा 17 बिश्वा रोही कस्बा राजलदेसर में स्थित है। धन्नेसिह का इसमें 4/6 हिस्सा भूमि है। धन्नेसिंह ने दिनांक 26.04.2002 को 4200 दर गज भूमि अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर माना देवी पत्नी केसराराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर को विक्रय कर दी। मानादेवी ने दिनांक 17.06.2008 को 2000 दर गज भूमि प्रार्थी को विक्रय कर दी। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा भावनदेसर जाने वाले रास्ता आम सड़क पर भूमि खरीद की गई थी। अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर विक्रय करने से वर्तमान में भी अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा खाली भूमि पर कब्जा करने की चेष्टा की, जिसे प्रार्थी ने मौके से हटा दिया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अप्रार्थी सं 1 से मिलकर षडयंत्र पूर्वक प्रार्थी की भूमि पर कब्जा

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

करना चाहते हैं। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वो खसरा नं 583 में से प्रार्थी की खरीदशुदा व कब्जाशुदा भूमि जो भावनदेसर जाने वाली ग्रेवल सड़क पर 2000 दर गज स्थित हैं में जबरन कब्जा नहीं करे व कोई निर्माण नहीं करें और ना ही करावें।

3. अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 24.08.2016 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

4. बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नं 1583 तादादी 5 बीघा 17 बिश्वा भूमि रोही कस्बा राजलदेसर में से खातेदार धन्ने सिंह के 4/6 हिस्सा भूमि में से 2000 दर गज भूमि क्रय करनी बतायी है। प्रस्तुत रेकार्ड से प्रार्थी ने माना देवी पत्नी केसराराम से 2000 दर गज भूमि क्रय की है। माना देवी द्वारा विधिवत जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि क्रय नहीं की गयी है तथा ना ही प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है। बिना पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर किसी भी अचल संपति का हस्तांतरण विधि मान्य नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी वादगत भूमि में रेकार्डेड हिस्सेदार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत नहीं होता है। रेकार्डेड खातेदार नहीं होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्त्य क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम बाबत खसरा नं 1583 तादादी 5 बीघा 17 बिश्वा रोही कस्बा राजलदेसर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20-9-2019 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner